सर्वोच्च प्राथमिकता/ गजट प्रकाशन/ स्पीड पोस्ट

संख्या- 17 /2022 / 381 पी /छः-पु-6-2022-02 विविध /2020

प्रेषक,

महेन्द्र सिंह
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

गृह (पुलिस)अनुभाग-6 लखनऊः दिनांक 08 अप्रैल, 2022

विषयः जनपद- अयोध्या में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की वाहिनी स्थापित किये जाने से संबंधित अधिसूचना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0 के पत्र सं0-डीजी-आठ-246(5)2022 दिनांक 02-02-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें यह सूचित किया गया है कि "---- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा धार्मिक स्थल की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिनांक 08-01-2022 को आहूत बैठक में निर्देशित किया गया है कि- "भविष्य में श्रीराम जन्मभूमि परिसर अयोध्या की स्थायी रूप से सुरक्षा हेतु उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 01 अतिरिक्त वाहिनी स्थापित किये जाने के संबंध में शीघ्रता से कार्यवाही की जाए।"

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 02-02-2022 में वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त जनपद-अयोध्या में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की 01 अतिरिक्त वाहिनी स्थापित किये जाने के संबंध में सक्षम स्तर के अनुमोदनोंपरान्त अधिसूचना संख्या-16/2022/380पी/छः-पु-6-2022-02विविध/2020 दिनांक 08 अप्रैल, 2022 (*हिन्दी/ अंग्रेजी प्रति संलग्न*) निर्गत की जा चुकी है।

3- अनुरोध है कि उक्त अधिसूचना से अवगत होते हुए तदनुसार अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोपरि।

भवदीय
महेन्द्र सिंह
उप सचिव।

संख्या- 17/2022/ 381 पी/ (1) /छः-पु-6-2022-02 विविध/ 2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः- (संलग्न -यथोपरि)

1. महालेखाकार, लेखा-प्रथम/ द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव- धर्मार्थ कार्य / संस्कृति/ अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/ वित्त विभाग/ पर्यटन विभाग, उ0प्र0शासन।
3. सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0,लखनऊ को उनके उक्त पत्र दिनांक 02-02-2022 के संदर्भ में।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय,लखनऊ।
7. अपर पुलिस महानिदेशक, पी0ए0सी0, उ0प्र0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक,उत्तरप्रदेश (मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,उ०प्र०) (*द्वारा-पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०)*

9. मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल, अयोध्या ।

10. जिलाधिकारी, अयोध्या को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए प्रकरण में शासन के पूर्व प्रेषित पत्र संख्या-290पी/ छ:-पु-6-2022-02विविध/ 2020 दिनांक 31-03-2022 द्वारा वांछित तथ्यात्मक आख्या पी0ए0मी0 मुख्यालय/ मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 को उपलब्ध कराते हुए शासन को सूचित करने का कष्ट करें।

11. पुलिस महानिरीक्षक- उ0प्र0विशेष सुरक्षा बल (up ssf), मुख्यालय, उ0प्र0।

12. पुलिस महानिरीक्षक (परिक्षेत्र)- अयोध्या ।

13. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अयोध्या ।

14. संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 ऐशबाग, लखनऊ को उक्त निर्गत अधिसूचना की हिन्दी-अंग्रेजी की एक-एक प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 08-04-2022 के असाधारण सरकारी गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कराते हुए इसकी 200 प्रतियां दिनांक 30-04-2022 तक शासन (गृह पुलिस-6, उ0प्र0 सचिवालय, लोक भवन, चतुर्थ तल) को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। उक्त गजट के मुद्रण पर होने वाला व्यय अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ द्वारा वहन किया जायेगा। अत: मुद्रण व्यय से संबंधित बिल, भुगतान हेतु मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, ऐशबाग, लखनऊ द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ को भेजा जायेगा।

15. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० पुलिस मुख्यालय, लखनऊ ।

16. OSD, साम्प्रदायिक नियंत्रण प्रकोष्ठ, उ0प्र0 शासन ।

17. वित्त ई-12 / वित्त वेतन आयोग - 1/ 2, गृह पुलिस-2/ 7/ 8 /10 एवं सेवाएं-1/2 उत्तर प्रदेश शासन ।

18. विधायी अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।

19. गृह नियंत्रण कक्ष, उ०प्र० शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त आदेश विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने तथा सर्वसंबधित को ई-मेल /फैक्स कराने का कष्ट करें ।

20. मीडिया सेल, गृह विभाग ।

21. गार्ड बुक ।

आज्ञा से
महेन्द्र सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

U P Government

Grih (Police) Anubhag-6

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 16/2022/ 380 p/vi-pu-6-2022-02Vividh/ 2020, dated April 08 , 2022:

Notification

No. 16 /2022/ 380 p/vi-pu-6-2022-02 Vividh/ 2020

Lucknow: dated: April 08 , 2022

In exercise of the powers conferred under sub-rule (2) of rule 4 of the Uttar Pradesh Special Security Force Rules, 2021, the Governor is pleased to constitute the 06th Battalion of Uttar Pradesh Special Security Force in district Ayodhya.

By order

AWANISH KUMAR AWASTHI

Apar Mukhya Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-6
संख्या: 16 /2022/380 पी /छ:-पु-6-2022- 02 विविध /2020
लखनऊ: दिनांक 08 अप्रैल, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली, 2021 के नियम-4 के उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिला अयोध्या में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल की छठी वाहिनी का गठन करती हैं।

आज्ञा से
अवनीश कुमार अवस्थी
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।